

वशेष योग्यजन बच्चों के अधिकारों एवं योजनाओं की जाँच हेतु स्कूलों के नरीक्षण का वशेष अभियान शुरू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान के वशेष योग्यजन राज्य आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने वशेष योग्यजन वदियार्थियों के कानूनी अधिकारों और योजनाओं की पालना की जाँच के लिये स्कूलों के नरीक्षण का वशेष अभियान आरंभ कया कया है। इनके नेतृत्व में अभियान की शुरुआत प्रदेश के उदयपुर ज़िले से हुई।

प्रमुख बदि

- वशेष योग्यजन राज्य आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने बताया कि प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता वभाग तथा बाल अधिकारिता वभाग की संयुक्त टीम द्वारा उदयपुर शहर के 3 स्कूलों के नरीक्षण के साथ इसकी शुरुआत हुई।
- सभी सरकारी एवं नज़ी वदियालयों के भवनों एवं व्यवस्थाओं का नरीक्षण कया जा रहा है। नरीक्षण के दौरान देखा जा रहा है कि वशेष योग्यजन बच्चों के लिये स्कूलों के भवन एवं व्यवस्थाएँ कतिने अनुकूल हैं।
- इसके तहत स्कूलों के कक्षा कक्ष परसिर, शौचालय, कैफेटेरिया, बैठने की व्यवस्था, प्रवेश द्वार, लफिट, पेयजल, आपातकाल नकिसी एवं रैप की व्यवस्था सहति 75 पैरामीटर की गहनता से जाँच की जा रही है। नरीक्षण के दौरान वदियालय परबंधन को वशेष योग्यजन बच्चों का पूरा ख्याल रखने के नरिदेश जारी कये जा रहे हैं।
- उमाशंकर शर्मा ने बताया कि जाँच के दौरान शकिषा का अधिकार अधनियिम- 2009 के तहत वदियालयों में वशेष योग्यजन बच्चों के प्रवेश की भी जाँच की जा रही है एवं वदियालयों को इस अधनियिम के तहत नयिमानुसार वशेष योग्यजन बच्चों को प्रवेश देने हेतु पाबंद कया जा रहा है।
- उन्होंने बताया कि उदयपुर में मुख्य ज़िला शकिषा अधिकारी द्वारा सभी वदियालयों की जाँच के आदेश दे दये गए हैं। आदेश के अनुसार ज़िले के सभी पीईईओ को अपने अधीनस्थ वदियालयों का नरीक्षण करना है। जो वदियालय वशेष योग्यजन बच्चों के अनुकूल नहीं पाया जाएगा उस पर नयिमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- इस अभियान का उद्देश्य राज्य के समस्त वदियालयों को वशेष योग्यजन बच्चों के अनुकूल बनाना है जिससे कि वे भी आसानी से शकिषा ग्रहण कर सकषम नागरिक बन सकें।
- वशेष योग्यजन आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में पहली बार इस तरह का अभियान शुरू कया गया है जिसके तहत हर वदियालय को वशेष योग्यजन बच्चों के अनुकूल बनाने का प्रयास कया जा रहा है।